

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 12/2019 (RCMS : 2019/00019) शिशपाल पुत्र गुलाब सिंह जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार, राजस्व, मिर्जेवाला 2. मनजीत सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति मजहबी सिख, निवासी चक 10 एफ बड़ा मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

22.07.2019



प्रार्थी शिशपाल स्वयं एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी शिशपाल का कथन है कि उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के न्यायालय में लम्बित प्रकरण सरकार बनाम मनजीत सिंह पुत्र हजारा सिंह अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर आप द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से बार-बार टिप्पणी मंगवाये जाने पर भी, उनके द्वारा टिप्पणी नहीं भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए प्रकरण को शीघ्र निस्ताराण हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल किया जावे।

इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र जिस उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के विरुद्ध पेश किया था उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए अब यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है अर्थात् फलहीन हो गया है। इसलिए इसे इसी आधार पर खारिज किया जावे।


मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के न्यायालय में लम्बित प्रकरण सरकार बनाम मनजीत सिंह अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर

अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना के साथ यह मुंतकिल प्रार्थना धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पेश किया है और प्रार्थना की है कि उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जान बूझकर निर्णय में देरी कर रहा है इसलिए अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जावे। यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2019 को प्रार्थी शिशपाल द्वारा इस न्यायालय में उपतहसीलदार, मिर्जेवाला के विरुद्ध पेश किया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थी शिशपाल किसी प्रकार से कोई पक्षकार के रूप में नहीं है, इसलिए वह इस मामले में किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और दूसरा जिस उपतहसीलदार के विरुद्ध यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था उसका अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार, मिर्जेवाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(शिवप्रसाद एम. नकाते)  
जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर